न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 154 / 2024

अनवान : –

1. सुख देव पुत्र रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
3. तारावती पुत्री रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
5. रेशमी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
6. अजमेरी देवी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
7. गिरदावरी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 31 / 33 की कुल 7.3850 हैक्ट भूमि में से 4932 / 3785 हिस्सा भूमि नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादा है नोपा पुत्र जुहारा का देहान्त हो चुका है नोपा पुत्र जुहारा के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 4 ता 7 वादी एवं प्रतिवाद स0 2 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादीगण स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की तरफ से श्री अजय गुरू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा भंगुली सम्वत 2074—77 खाता संख्या 31/33, मृत्यु प्रमाण पत्र नोपाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र बिदामी, सदस्य प्रमाण पत्र चित्रप्रति बहक गोगादेवी, चित्रप्रति सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता नोपा पुत्र जुहारा का देहान्त हो चुका है नोपा पुत्र जुहारा के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 4 ता 7 वादी एवं प्रतिवाद स0 2 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादीगण स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 31/[illegible] से 4932/3785 हिस्सा भूमि नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता नोपा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जुहारा का देहान्त हो चुका है नोपा पुत्र जुहारा के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 4 ता 7 वादी एवं प्रतिवाद स0 2 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादीगण स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष मे परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 काबिज है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा नोपाराम पुत्र जुहारा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 31/33 की कुल 7.3850 हैक्ट भूमि में से 4932/7385 हिस्सा भूमि नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक नोपा पुत्र जुहारा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 154 / 2024

अनवान : –

1. सुख देव पुत्र रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
3. तारावती पुत्री रामस्वरूप जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
5. रेशमी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
6. अजमेरी देवी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
7. गिरदावरी पुत्री नोपा जाति नायक निवासी भंगुली तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 154 सन 2024 निर्णय दिनांक –19/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगुली तहसील नोहर के खाता स0 31 / 33 की कुल 7.3850 हैक्ट भूमि में से 4932 / 7385 हिस्सा भूमि नोपा पुत्र जुहारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक नोपा पुत्र जुहारा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:13 IST
Reason: SelfAttested